आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–10/1994

दीनेश्वर प्रसाद सिंह बनाम संतलाल मंडल

आदेश

20.9.14

यह वाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने अपने आदेश दिनांक 14.05.1995 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा था। यह अभिलेख पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष कभी भी उपस्थापित नहीं किया गया। दिनांक 31.07.2012 को लंबित वादों के खोजबीन के क्रम में यह अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख उपस्थापित नहीं करने के लिए तत्कालीन पेशकार से कारण पृच्छा की भी मांग की गयी परन्तु आज तक उन्होंने इसका जबाव दाखिल नहीं किया। पुनः उन्हें स्मार निर्गत का आदेश दिया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी ने अपने आदेश दिनांक 14.05.1996 में उल्लेख किया है कि वादी चन्द्रकला देवी जौजे दीनेश्वर प्रसाद सिंह, सा0–केवटा, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया ने दिनांक 30.06.1994 को जमाबंदी सुधार हेतु आवेदन दाखिल किया था।

वादी ने अपने आवेदन पत्र में कहा है कि मौजा बलतारा अंतर्गत 08क0 जमीन जिसकी तौजी नं0–530/3715, थाना नं0–159, खाता–277, खेसरा–1388 बजरिये रजिस्ट्री केवाला नं0–1846 दिनांक 06.05.1977 द्वारा मसोमात महजनिया देवी जौजे स्व0 सुन्दर सिंह, सा0–फुलवड़िया, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया से खरीद किया एवं शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आयी।

मौजा बलतारा का 02बी0 07क0 13धू0 जमीन की जमाबंदी नं0–94 सुन्दर मंडल पे0 टेंगर मंडल (विक्रेता का पति) के नाम से चल रही थी जिसमें वादिनी द्वारा खरीदी गयी जमीन भी सम्मिलित है। वादिनी किसी कारणवश उन खरीदगी भूमि का नामान्तरण नहीं करा सकी। अचानक एक दिन वादिनी को मालुम हुआ कि एक सुरेश प्रसाद सिंह ने एक औरत को मसोमात महजनिया देवी पति स्व0 सुन्दर सिंह बनाकर अपने नाबालिग पुत्र संतलाल मंडल के नाम एक केवाला तैयार करवाया जिसमें जमाबंदी नं0–94 की सम्पूर्ण रकवा 02बी0 07क0 13धू0 है। उक्त जमाबंदी में अंचल अमला को मेल में लाकर स्व0 सुन्दर सिंह का नाम हटाकर संतलाल मंडल का नाम लिखवा लिया जो अवैध है। अंचल अधिकारी को जमाबंदी कैंसिल करने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए इस अवैध जमाबंदी को खारिज कर पूर्ववत स्व0 सुन्दर मंडल के नाम लाया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, गोगरी से जाँच प्रतिवेदन की मांग कर विस्तृत विश्लेषण के साथ अभिलेख का प्रेषण किया है। उक्त प्रतिवेदन में राजस्व

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... ...ई कार्रवाइ... बारे में टिप्पण... तारीख के सा...
1	2	3

कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए विवादी भूमि पर आवेदिका चन्द्रकला देवी का दखल कब्जा पाया गया है। प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जमाबंदी नं0–डी0बी0–94 अराजी 2.13.07 जमीन लौंगा बलतारा का जिसका थाना नं0–159, तौजी नं0–530/3715, खाता नं0–277, खेसरा–1388 सुन्दर मंडल पे0 स्व0 टेंगर मंडल के नाम चल रही है। इसी जमाबंदी से वादी चन्द्रकला देवी ने जमाबंदी रैयत की पत्नी से खरीदा था तथा इसी जमाबंदी नं0–94 से आवेदिका की खरीदी गई जमीन अराजी 08क0 खारिज होना था लेकिन सुरेश सिंह ने अपने पुत्र संतलाल मंडल के नाम से गलत ढंग से दाखिल खारिज वाद संख्या–120/83–84 द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश दाखिल खारिज करवा लिया है। अबशेष रकवा नहीं बचता है जिससे आवेदिका की खरीदगी जमीन का दाखिल खारिज हो सके।

अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि प्रतिवादी संतलाल मंडल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अनुमंडल पदाधिकारी ने आवेदिका का विवादी भूमि पर दखल कब्जा बताते हुए तथा अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी नं0–94 जो पूर्व से चल रही थी को रद्द करने का आदेश अवैध प्रतिवेदित करते हुए संतलाल मंडल पे0 सुरेश सिंह के नाम कायम जमाबंदी खारिज करते हुए सुन्दर सिंह पे0 सुरेश सिंह के जमाबंदी संख्या–94 को वास्तविक स्वरूप में लाने की अनुशंसा की है।

विपक्षी ने आपत्ति आवेदन दाखिल कर कहा है कि उन्होंने दिनांक 22.12.1980 को निबंधित केवाला द्वारा निम्नलिखित व्यौरे की जमीन खरीद की :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	अराजी बी0–क0–धू0–धू0	जमाबंदी सं0
लौंगा	530/	159	293	1715	05–07–06–00	94
	3715			1796		96
			242	1365		97
				1395		
			277	1269		
				1359		
				13938		
				1552		
				2087		

...क्षी ने आवेदिका द्वारा खरीदी गयी जमीन का विक्रय पत्र फर्जी बताया है ...क महाजनी देवी ने कभी भी उक्त जमीन आवेदिका को विक्रय नहीं किया ... फर्जी व्यक्ति को महाजनी कह कर केवाला करवा लिया है।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

विपक्षी ने अंचल सिरिस्ता में सम्पूर्ण भूमि 05बी0 07क0 06धू0 जमीन का नामान्तरण अपने नाम करवा लिया है तथा लगान रसीद भी निर्गत है। आवेदिका का दावा काल्पनिक एवं आधारहीन बताया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजात का भी अवलोकन किया। आवेदिका की मृत्यु के फलस्वरूप उनके स्थान पर उनके पति श्री दीनेश्वर प्रसाद सिंह को पक्षकार बनाया गया। आवेदिका का केवाला का अवलोकन से पता चलता है कि यह वर्ष 1977. का है जबकि आपत्तिकर्त्ता विपक्षी का केवाला वर्ष 1980 का है। दोनों के विक्रेता महाजनी देवी ही है।

संबंधित हल्का कर्मचारी से जमाबंदी पंजी–2 मंगवाकर उसका अवलोकन किया। जमाबंदी संख्या–94 में सुन्दर मंडल पे0 टेंगर मंडल का नाम काटकर संतलाल मंडल, पे0 सुरेश सिंह, सा0–बलतारा का नाम चढ़ा दिया गया है परंतु Authority of Change का कॉलम में ऐसा परिवर्त्तन हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश का उल्लेख नहीं है। इसी जमाबंदी में कुल जमाबंदी का अराजी 05बी0 07क0 06धू0 करने हेतु अंचल अधिकारी, गोगरी का नामान्तरण वाद संख्या–120/83–84 का हवाला देते हुए जमाबंदी संख्या–96 से 02बी0 19क0 13धू0 जमीन लाया गया है तथा पुनः जमाबंदी सुधार वाद संख्या–01/91–92 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय का आदेश का हवाला देते हुए 02बी0 19क0 13धू0 जमीन पुनः जमाबंदी संख्या–96 में दर्ज किया गया है तथा इस जमाबंदी संख्या से उतनी जमीन घटाकर इसे पुनः वास्तविक अराजी 02बी0 07क0 13धू0 किया गया है। इस प्रकार जमाबंदी 94 में काफी छेड़छाड़ की गयी है और मूल जमाबंदी रैयत सुन्दर मंडल का नाम अवैध रूप से काट कर संतलाल मंडल का नाम जोड़ा गया है। चूंकि मामला काफी पुराना हो चुका है इसलिए वादी एवं विपक्षी के दावे का निर्णय स्थल जाँचोपरांत किया जाना श्रेस्यकर होगा। अतः पुरानी जमाबंदी–94 को पुनः सुन्दर लाल के नाम से पुर्नस्थपित करते हुए अंचल अधिकारी, गोगरी को आदेश दिया जाता है कि स्वंय स्थल जाँच कर पक्षकारों का दावा को जाँचते हुए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधान के तहत वैध दावेदार के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करें।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।